संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा जिला

समरी प्रकरण क्रमांक. 490/23

// निर्णय //

(आज दिनांक 28/11/23 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 36(B) **आबकारी अधिनियम** 1915 के अंतर्गत आरोप है कि घटना दिनांक को उसके अधिपत्य से 100 ml देशी मदिरा शराब अवैध रूप से जप्त की गई है।

2. आरोपी को अपराध की विशिष्ठियाँ समरी शीट पर निर्मित कर पढकर सुने व् समझाई गई और उसे समझाया गया की अगर वह अपराध को स्वीकार करता है तो उसे कारावास और जुर्माना हो सकता है तो भी आरोपी ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी धोंस दबाव के जुर्म करना स्वीकार किया है।

3. अतः आरोपी को स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 36(B) **आबकारी अधिनियम** 1915 में दोषी पाया जाता है एंव आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा रूपए 1000/-(एक हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा शराब का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

स्थान - नागदा

दिनांक - 28/11/23

(संतोष तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नागदा, जिला उज्जैन